



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar
(Sub-Regional Office, Jaipur)



ए वींग- 407 एवं 409, "अरण्य भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A wing- 407 & 409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010
Email: iro.gandhingr-mefcc@gov.in

सेवा में,
शासन सचिव (वन),
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

दिनांक: 16th जुलाई, 2024

(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/ROAD/152647/2022)


विषय: Diversion of 0.59 ha forest land for construction of approach road to Foosod Mata Ji in new connectivity scheme in Rajasthan Govt total length of project 0.626 km and road passing in forest land is 0.28 km in favour of executive engineer, Public Works Department, Division Itawa in District Kota of Rajasthan.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. Map submitted by the User Agency for alternative alignment is not clear i.e. the starting point and ending point not clearly mentioned. State Govt of Rajasthan is requested to submit the clear map for alternative alignment.
2. The user agency has not justified the need for 10 mtr wide road to establish connectivity between the village and the temple.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।


(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)
क्षेत्रीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष
RO/Head of Department
क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/
Regional Office, Gandhinagar.

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, कोटा वनमण्डल, कोटा, राजस्थान।
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-इटावा, कोटा, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।